पत्र सं० – 11/चक0–(म0 उ0 को0)–23–03/2023 900 /चक0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

सिम्मी प्रसाद, (बि0प्र0से0)
अनुदेशक–सह–स्थापना प्रभारी,
चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी/
सभी उप निदेशक, चकबंदी/
सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर/
सभी चकबंदी पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 08/09/2023

विषय :– ऑरेलियो फर्णाडिस बनाम गोवा राज्य वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2023 को पारित आदेश के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 1109(1)/रा0 दिनांक 17.08.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति को संलग्न करते हुए कहना है कि ऑरेलियो फर्णाडिस बनाम गोवा राज्य वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2023 को पारित आदेश के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था करते हुए समिति का गठन कर कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है।

अतएव प्रासंगिक पत्र में वर्णित मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2023 को आयोजित बैठक में दिये गये निदेश तथा महिला बाल विकास निगम, पटना के पत्रांक WCDC-1295/23 दिनांक 20.05.2023 एवं पत्रांक WCDC-1525/23 दिनांक 16.06.2023 के आलोक में महिला बाल विकास निगम, पटना एवं चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर समिति का गठन करते हुए कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन
Simmi Prasad.
08/09/23
(सिम्मी प्रसाद)
अनुदेशक–सह–स्थापना प्रभारी,
बिहार, पटना।

पत्रांक–1/मु0स्था0रा0भू0 (विविध)–15–09/2010– 1109 (1)/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

स्मार–।।

कंचन कपूर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

निदेशक
चकबंदी निदेशालय/भू–अर्जन निदेशालय/कृषि गणना/
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

निबंधक, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना।

सभी जिला समाहर्त्ता।

सभी भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता।

सभी अंचलाधिकारी, बिहार।

श्री- ... Prasad 22/08/23

पटना–15, दिनांक– 17-08-2023

विषय :– ऑरेलियो फर्णांडिस बनाम गोवा राज्य वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–12.05.2023 को पारित आदेश के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– महिला बाल विकास निगम, बिहार का पत्रांक– WCDC-1295/23 दिनांक–20.05.2023, पत्रांक–WCDC-1525/23 दिनांक–16.06.2023, विभागीय पत्रांक–666(1)/रा0, दिनांक–31.05.2023 एवं पत्रांक–979(1)/रा0, दिनांक–21.07.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि ऑरेलियो फर्णांडिस बनाम गोवा राज्य वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–12.05.2023 को पारित न्याय निर्णय एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–30.05.2023 को आयोजित बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में अनुरोध है कि अपने–अपने कार्यालय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालय में आंतरिक/स्थानीय समिति का गठन, समिति के सदस्यों के सम्पर्क सूत्र (यथा नाम, मोबाईल नं0, ईमेल पता) कार्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध कराते हुए उक्त अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से कार्यालय के सभी कर्मियों खासकर महिला कर्मियों को अवगत कराया जाय। साथ ही **जिला स्तर पर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए गठित स्थानीय समिति की जानकारी, विभिन्न प्रखंड/पंचायत एवं अन्य कार्यालयों में प्रदर्शित एवं प्रचारित कराया जाय।** प्रसंगाधीन वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप व्यवस्था करते हुए सभी राज्यों को कार्यान्वयन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अपने स्तर पर अपेक्षित समिति का गठन एवं प्रसंगाधीन वाद में दिये गये निदेश के आलोक में सभी अपेक्षित कार्रवाई करते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही गठित समिति से संबंधित सूचना अनुपालन प्रतिवेदन के साथ महिला बाल विकास निगम एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करानें की कृपा की जाय।**

विश्वासभाजन

17/8/23

(कंचन कपूर)
सरकार के संयुक्त सचिव